

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग-01

विज्ञप्ति/संशोधन

18 फरवरी, 2025 ई0

संख्या-276282/XII(1)/2025/86(20)2017/ई-16706-उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की सुसंगत धाराओं के अधीन विहित प्राधिकारी घोषित किये जाने हेतु निर्गत शासन की विज्ञप्ति संख्या-912/XII(1)/2017/86(20)/2017, दिनांक 09.06.2017 के क्रम में निर्गत शासन की विज्ञप्ति/संशोधन संख्या-1491/XII(1)/2020/86(20)/2017, दिनांक 17.12.2020 में संशोधन करते हुए प्रतिनिहित अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	अधिनियम की धारा	पदाधिकारी		प्रतिनिहित अधिकारी
1.	धारा-138	सदस्य-ग्राम पंचायत	-	मुख्य विकास अधिकारी
		प्रधान/उप प्रधान-ग्राम पंचायत	-	जिलाधिकारी
		सदस्य-क्षेत्र पंचायत	-	जिलाधिकारी
		प्रमुख/उपप्रमुख/ज्ये0 व कनिष्ठ उपप्रमुख-क्षेत्र पंचायत	-	निदेशक, पंचायतीराज
		सदस्य-जिला पंचायत	-	निदेशक, पंचायतीराज
		अध्यक्ष/उपाध्यक्ष-जिला पंचायत	-	राज्य सरकार

2. उक्त संदर्भित विज्ञप्ति संख्या- 1491, दिनांक 17.12.2020 इस सीमा तक संशोधित समझी जाय।

आज्ञा से,
चन्द्रेश कुमार,
सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 19-04-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 पंचायतीराज/237-06-06-2025-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)